LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)
Tuesday, 10 April 2018 / 20 Chaitra 1940 (Saka)

No. 81 02.11 PM

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 2.12 PM **Obituary References:**

The House paid homage and observed two minute silence as a mark of respect to the following:

- 1. Death of Thirty persons including Twenty Seven School Children in road accident on 09 April 2018 at Noorpur, Kangda, Himachal Pradesh.
- 2. Death of four labourers in Sultanpuri and one person in Chandni Chowk, in fire incidents on 09 April 2018.
- 2. 2.15 PM Ms. Alka Lamba raised the issue of alleged gang rape of a girl in Unnao District (Uttar Pradesh) and alleged subsequent death of her father in police custody. Shri Manoj Kumar also expressed his views on the aforesaid issue.
- 3. 2.36 PM Congratulatory Motion:

Smt. Sarita Singh drew the attention of the House towards the meritorious display of women sports person in the Commonwealth Games especially Ms. Manika Batra from Delhi.

The Chair also paid rich tributes to the victorious sportspersons.

Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister intervened and congratulated Ms. Manika Batra for winning the Gold Medal in Table Tennis in Commonwealth Games 2018 being held at Gold Coast, Australia.

The following Members also expressed their views:

- 1. Shri Manjinder Singh Sirsa
- 2. Shri Shiv Charan Goel
- 3. Shri Rajesh Gupta
- 4. Shri Sukhbir Singh Dalal
- 4. 2.47 PM Discussion on working of Municipal Corporations of Delhi and utilization of MLALAD Funds in MCD Areas.

The following Members participated in the Discussion:

- 1. Shri Shiv Charan Goel
- 2. Shri Anil Kumar Bajpai
- 3. Shri Sahi Ram
- 4. Shri Manjinder Singh Sirsa
- 5. Shri S.K. Bagga
- 6. Shri Jagdish Pradhan (Minister of Urban Development intervened)
- 7. Shri Rajesh Rishi
- 8. Shri Rituraj Govind
- 9. Shri Mohinder Goyal
- 10. Shri Rajesh Gupta
- 11. Ms. Sarita Singh
- 12. Ms. Pramila Tokas
- 5. 4.15 PM The Chair adjourned the House for Tea-Break.
- 6. 5.01 PM House reassembled Hon'ble Speaker in-Chair.
- 7. 5.01 PM Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition and other Members of BJP came into the well of the House and demanded that the discussion on providing adequate and clean drinking water and proper sewage facilities, listed for the day be taken up immediately.

The Chair stated that he would consider the matter after completion of the discussion on working of Municipal Corporations of Delhi and utilization of MLALAD Funds in MCD Areas.

Some Members of Ruling Party came into the well of the House.

Exchange of arguments between the Members of Ruling Party and Opposition.

Pandemonium in the House.

- 8. 5.10 PM The Chair adjourned the House upto 5.30 PM due to continuous disturbance in the proceedings.
- 9. 5.30 PM House reassembled.

Hon'ble Speaker in-Chair.

- 10. 5.31 PM Discussion on working of Municipal Corporations of Delhi and utilization of MLALAD Funds in MCD Areas continued.
 - **5.31 PM**: Members of BJP again came in the well of the House and disturbed the proceedings.

They raised slogans and displaced placard against the Govt.

Discussion continued:

13. Shri Surender Singh

5.36 PM: The Chair named Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, Shri Om Prakash Sharma, Shri Manjinder Singh Sirsa and Shri Jagdish Pradhan due to their indecorous behaviour. They were asked to withdraw from the House. As the Members refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort them out.

Discussion continued:

- 14. Shri Sukhbir Singh Dalal
- 15. Shri Pawan Kumar Sharma
- 16. Shri Jagdeep Singh
- 17. Ms. Alka Lamba
- 18. Shri Somnath Bharti
- 19. Shri Imran Hussain, Minister of Food & Supplies

Shri Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied the discussion.

6.36 PM: Shri Saurabh Bharadwaj moved the following Motion in the leave of the House.

"The Legislative Assembly in its sitting on 10th April 2018 resolves that:

Whereas there have been numerous complaints of MLA(s) that Municipal Corporations of Delhi intentionally delay the work under MLALAD funds,

This House directs the GNCTD to formulate strict guidelines for the execution of works under MLALAD funds.

The request for estimate of any work should not take more than 21 working days for any executing agency to provide estimate of work to the respective MLA and if there is any other proposal for the same work by other entities, the MLA must be informed in 7 days. The request and process of allocation of funds to an executing agency should not take more than 14 working days.

The request/process of preparing NH and inviting Tender should not take more than 30 days of receipt of funds.

The award of work after opening of bids should not take more than 14 days after finalization of bids.

The execution of work after the award of work should not take more than 90 days. The savings in the MLALAD work should be returned to the Urban Development Department within 90 days of completion of work.

If any agency applies for NOC regarding any work to MCD under 'MLALAD' work, the NOC would be deemed to have been provided, if 'NOC' is not provided in 15 days or reason is communicated to the agency for not granting 'NOC' for MLALAD work.

In case there is delay in any of the stages as provided above, the concerned Executive Engineer of the executing agency should write a letter to the concerned MLA explaining the reasons for such delay and expected timeline for the said work under MLALAD funds. The concerned Executive Engineer should mark copy of such letter to Secretary, Urban Development Department and Commissioner of its Municipal Corporation.

Any violation of the guidelines in this resolution shall be treated as Contempt and breach of Privileges of Legislative Assembly of Delhi and its Members."

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

- 11. 6.41PM **Shri Saurabh Bharadwaj** drew the attention of the House regarding some news items published in Hindi News Paper '*Dainik Jagarn*' regarding proceedings of the House. He alleged that the reporting of the aforesaid News Paper was incorrect, misleading, improper and biased. The Chair referred the matter to the Committee on Privileges.
- 12. 6.51PM The Chair also referred the issues raised by the Members during discussion on working of Municipal Corporations of Delhi and utilization of MLALAD Funds in MCD Areas to the Questions and Reference Committee.
- 13. 6.53 PM The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and other agencies for their co-operation in smooth conduct of the Session.
- 14. 6.54 PM National Anthem Jan-Gan-Man The Chair adjourned the House sine-die.

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समाचार भाग–1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख) मंगलवार, 10 अप्रैल, 2018/20 चैत्र, 1940 (शक)

संख्या—81 2.11 बजे

श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।

1. 2.12 बजे **निधन संबंधी उल्लेख**:

सदन द्वारा निम्नलिखित के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा दो मिनट का मौन धारण किया गया :--

- 1. दिनांक ०९ अप्रैल, २०१८ को नूरपुर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना में २७ स्कूली बच्चों सहित ३० लोगों की मौत।
- 2. दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को सुल्तानपुरी, दिल्ली में चार मजदूरों और चांदनी चौक, दिल्ली में एक व्यक्ति की अग्नि दुर्घटनाओं में मौत।
- 2. 2.15 बजे सुश्री अलका लाम्बा ने उन्नाव जिला (उत्तर प्रदेश) में एक लड़की के कथित गैंगरेप तथा तत्पश्चात् उसके पिता की पुलिस हिरासत में कथित मौत का मामला उठाया।

श्री मनोज कुमार ने भी उपरोक्त विषय के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए।

3. 2.36 बजे **बधाई प्रस्ताव** :

सुश्री सरिता सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में महिला खिलाड़ियों विशेषकर दिल्ली की सुश्री मणिका बत्तरा के उत्कृष्ट प्रदर्शन की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय ने भी विजेता खिलाडियों को हार्दिक बधाई दी।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया और सुश्री मणिका बत्तरा को गोल्ड कॉस्ट, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रमंडल खेल, 2018 में टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए :

- 1. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा
- 2. श्री शिवचरण गोयल
- 3. श्री राजेश गुप्ता
- 4. श्री सुखबीर सिंह दलाल

4. 2.47 बजे दिल्ली नगर निगमों की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में उपयोग पर चर्चा :

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः

- 1. श्री शिवचरण गोयल
- 2. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
- 3. श्री सही राम
- 4. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
- 5. श्री एस.के.बग्गा
- 6. श्री जगदीश प्रधान (माननीय शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
- 7. श्री राजेश ऋषि
- श्री ऋतुराज गोविंद
- 9. श्री महेन्द्र गोयल
- 10. श्री राजेश गुप्ता
- 11. श्रीमती सरिता सिंह
- 12. श्रीमती प्रमिला टोकस
- 5. 4.15 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही जलपान अवकाश के लिए स्थगित की।
- **6**. 5.01 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

7. 5.01 बजे श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य सदन के वैल में आ गये और कार्यसूची में सूचीबद्ध पर्याप्त तथा स्वच्छ पेयजल और उपयुक्त सीवेज सुविधाओं पर चर्चा करवाने की मांग करने लगे। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे इस मामले पर दिल्ली नगर निगमों की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में उपयोग पर चर्चा पूरी होने के बाद विचार करेंगे।

सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी वैल में आ गये।

सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के सदस्यों के मध्य तर्क-वितर्क हुआ।

सदन में शोर-शराबा।

- 8. 5.10 बजे कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 5.30 बजे तक के लिए स्थगित की।
- **9**. 5.30 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**

माननीय अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

10. 5.31 बजे *दिल्ली नगर निगमों की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में उपयोग पर* चर्चा जारी हुई।

5.31 बजे: भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पुनः सदन के वैल में आ गए और कार्यवाही में बाधा पहुंचाने लगे। उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी की और बैनर भी प्रदर्शित किए।

चर्चा जारी :

14. श्री सुरेन्द्र सिंह

5.36 बजे : अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा तथा श्री जगदीश प्रधान को उनके अमर्यादित आचरण के कारण इंगित कर दिया। उन्हें सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया। चूंकि सदस्यों ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अतः अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

चर्चा जारी :

- 15. श्री सुखबीर सिंह दलाल
- 16. श्री पवन कुमार शर्मा
- 17. श्री जगदीप सिंह, मुख्य सचेतक
- 18. सुश्री अलका लाम्बा
- 19. श्री सोमनाथ भारती
- 20. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

6.36 बजे

श्री सौरभ भारद्वाज ने सदन की अनुमित से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की बैठक में:

जैसा कि विधायकों की अनेक शिकायतें हैं कि दिल्ली के नगर निगम, विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत कार्यों में जानबूझकर विलम्ब करते हैं,

यह सदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कड़े दिशा–निर्देश बनाने का निर्देश देता है,

किसी कार्य के प्राक्कलन के लिए अनुरोध तथा किसी क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा संबंधित विधायक को कार्य का प्राक्कलन उपलब्ध करवाने में 21 कार्यदिवसों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और यदि समान कार्य का कोई अन्य प्रस्ताव किसी अन्य प्रतिष्ठान से प्राप्त हुआ है तो विधायक को उसकी सूचना 07 दिनों के अन्दर दी जाएगी,

किसी क्रियान्वयन एजेंसी को फण्डों के आवंटन का अनुरोध तथा प्रक्रिया में 14 कार्यदिवसों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए,

टेंडर नोटिस बनाने का अनुरोध / प्रक्रिया तथा टेंडर आमंत्रित करने में फण्ड प्राप्ति के बाद 30 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए,

बोली के अंतिम रूप देने तथा बोली खोलने के बाद कार्य के आवंटन में 14 दिनों से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, कार्य आवंटन के बाद क्रियान्वयन में 90 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए,

विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के कार्य में बचत को कार्य समाप्ति के 90 दिनों के अन्दर शहरी विकास विभाग को वापिस दे देना चाहिए

यदि कोई एजेंसी विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के कार्य के तहत दिल्ली नगर निगम के किसी कार्य के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करती है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः दिया हुआ माना जाएगा, यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर नहीं दिया जाता या एजेंसी को विधायक क्षेत्रीय विकास निधि कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने का कारण नहीं बताया जाता,

यदि उपरोक्त चरणों में से किसी में कोई विलम्ब होता है तो क्रियान्वयन एजेंसी के संबंधित कार्यकारी अभियंता को संबंधित विधायक को ऐसे विलम्ब के कारणों का वर्णन करते हुए तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत उक्त कार्य हेतु संभावित टाईम लाईन बताते हुए पत्र लिखना चाहिए। संबंधित कार्यकारी अभियंता ऐसे पत्र की प्रति सचिव, शहरी विकास विभाग तथा अपने नगर निगम के आयुक्त को भेजे,

इस संकल्प में इन दिशा—निर्देशों का उल्लंघन दिल्ली विधान सभा तथा इसके सदस्यों की अवमानना एवं विशेषाधिकार उल्लंघन माना जाएगा।

संकल्प को मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

11. 6.41 बजे श्री सौरम भारद्वाज ने सदन का ध्यान हिन्दी समाचार पत्र *दैनिक जागरण* में प्रकाशित सदन की कार्यवाही से संबंधित कुछ समाचारों की ओर दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त समाचार पत्र की रिपोर्टिंग गलत, गुमराहपूर्ण, अनुपयुक्त तथा पूर्वाग्रहयुक्त है।

अध्यक्ष महोदय ने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

- 12. 6:51 बजे अध्यक्ष महोदय ने *दिल्ली नगर निगमों की कार्यप्रणाली तथा विधायक क्षेत्रीय विकास निधि का दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों* में उपयोग पर चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया।
- 13. 6:53 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों / संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।
- **14**. 6.54 बजे

राष्ट्र गानः जन-गण-मन। सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली 10 अप्रैल, 2018 सी. वेलमुरूगन सचिव